फर्द अहकाम

(नियम 26)

...लत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अजमेर

...ति प्रेमादेवी .... बनाम नगर सुधार न्यास..

...न मुकदमा आदेश 88, 92 ए एवं 188 नम्बर 70/2004......सन ....

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही श्री श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
...07.2019	पत्राावली पेश हुई। राजकीय पेरोकार उपस्थित । वादीगण अभिभाषक उपस्थित । राजकीय पेरोकार द्वारा पत्रावली पर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुति कि दिनांक 26.9.2014 के पश्चात न्यायालय आदेशिका दिनांक 20.08.2008 की पालना में आज दिवस तक वादी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई । जिस हेतु वादीगण द्वारा आदेशिका दिनांक 20.08.2008 के पश्चात लगभग ग्यारह वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने तथा कई अवसर प्राप्त किए जाने के उपरान्त भी न्यायालय आदेश दिनांक 20.08.2008, 22.6.2009, तत्पश्चात दिनांक 26.5.2011 को वादी साक्ष्य हेतु अन्तिम अवसर दिया गया के दिनांक 27.7.2017, 14.12.2017, 24.5.2018 को अन्तिम अवसर दिए जाने पर भी पालना नही कि गई है। इसके बावजूद भी वादीगण द्वारा आज दिवस तक न्यायालय आदेश की पालना नही की गई है जिसे न्यायालय आदेशो की अदम पालना में निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया । हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे राजकीय पेरोकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि होकर न्यायालय आदेश दिनांक 20.8.2008 की प्रभावी आदेशिका दिनांक 24.5.2018 के बावजूद कई अवसर प्राप्त किए जाने एवं ग्यारह वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी पालना नही की गई है। जिससे वादीगण एवं उनके अधिवक्ता की उक्त वाद को चलाए जाने में ना तो किसी प्रकार की कोई रूचि प्रकृट होना प्रतीत होती है इस प्रकार कानूनी प्रावधानो के तहत वादी अपने हक अधिकारो के प्रति सजग नही रहता है उसकी न्यायालय की किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नही कर सकता है। अतः वादीगण का वादपत्र न्यायालय आदेशो की अदम पालना में निरस्त कर खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । उपखण्ड अधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner